आकाशवाणी श्री विजयपुरम

दिनांक : 20.07.2026 समय : 0705

<><><><><><><><>

- संसद का मॉनसून सत्र आज शुरू होगा। यह सत्र 13 अगस्त तक चलेगा।
- मत्स्य संसाधनों के सतत दोहन को सुनिश्चित करने के लिए मछुआरों से समुद्री मत्स्य पालन विनियमन और नियम का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है।
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने पात्र सूक्ष्म और लघु उद्यमों को 'इंडिया ग्लोबल ग्रैंड ट्रेड फेयर' में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान तथा मूल्यांकन के लिए आज से शिविर का आयोजन किया जा रहा है।

<><><><><><><><>

संसद का मॉनसून सत्र आज शुरू होगा। यह सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। 25 दिनों के सत्र में 19 बैठके होंगी। मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने कल संसद भवन में सर्वदलीय बैठक की। इस बैठक की अध्यक्षता राजनाथ सिंह ने की। बैठक के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मुख्य मुद्दों पर रचनात्मक चर्चाओं में भागीदारी करने और संसद की निर्बाध कार्यवाही सुनिश्चित करने का आग्रह सभी राजनीतिक दलों से किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि सदस्यों ने इस सत्र के दौरान उठाए जाने वाले विधायी और अन्य प्रस्तावित कार्यों पर अपने विचारों का आदान प्रदान किया।

<><><><><><><><>

दक्षिण अंडमान क्षेत्रीय मत्स्य पालन कार्यालय ने मत्स्य संसाधनों के सतत दोहन को सुनिश्चित करने के लिए सभी मशीनीकृत मछली पकड़ने वाली नौकाओं के मालिकों और संबंधित हितधारकों को अंडमान निकोबार द्वीपसमूह समुद्री मत्स्य पालन विनियमन 2003, अंडमान निकोबार द्वीपसमूह समुद्री मत्स्य पालन नियम 2004 और उसके बाद के संशोधनों के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने की सलाह दी है।

नियम के तहत 30 हॉर्स पावर या उससे अधिक की इंजन क्षमता वाली मशीनीकृत मछली पकड़ने वाली नौकाओं को तट से 6 समुद्री मील के दायरे में, तथा खाड़ियों, चैनलों, मुहानों और अन्य प्रतिबंधित क्षेत्रों में मछली पकड़ने की सख्त मनाही है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह समुद्री मत्स्य पालन (संशोधन) नियम, 2025 के अनुसार, ऐसी मशीनीकृत नौकाएं प्रादेशिक जल सीमा में केवल 06 से 12 समुद्री मील के क्षेत्र में ही मछली पकड़ सकती हैं। इसके लिए वे केवल अनुमति प्राप्त उपकरणों का ही उपयोग कर सकते हैं।

<><><><><><><>

सामुदायिक विकास ब्लॉक, डिगलीपुर की ओर से दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के अंतर्गत एक एकीकृत कृषि क्लस्टर की स्थापना की गई है। इस पहल के हिस्से के रूप में, महिला किसानों और स्वयं सहायता समूह की सदस्यों के लिए उत्पादन, मूल्य संवर्धन, क्षमता निर्माण और बाजार जुड़ाव के केंद्र के रूप में कार्य करने के लिए एक आजीविका सेवा केंद्र स्थापित किया जा रहा है। यह प्रस्तावित आजीविका सेवा केंद्र स्वयं सहायता समूहों के लिए एक एकल खिड़की सहायता केंद्र के रूप में कार्य करेगा। एकीकृत कृषि क्लस्टर पहल के हिस्से के रूप में, गुणवत्तापूर्ण चूजों की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करने, पोल्ट्री–आधारित आजीविका को बढ़ावा देने और एसएचजी सदस्यों के लिए आय के नए स्रोत बनाने के लिए एक पोल्ट्री हैचरी भी स्थापित की जाएगी।

<><><><><><><>

खेल एवं युवा मामले विभाग ने पर्यटन विभाग और भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से द्वीपों में फिटनेस, स्वस्थ जीवन शैली, पर्यावरण–अनुकूल परिवहन और साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कल 'आइलैंड मानसून साइकिलिंग टूर' का आयोजन किया। यह साइकिलिंग टूर नेताजी स्टेडियम से शुरू होकर कार्बाइंस कोव जाकर सम्पन्न हुई। इस अवसर पर दक्षिण अंडमान पुलिस अधीक्षक श्वेता के. सुगाथन ने इस साइकिलिंग टूर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

<><><><><><><>

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत विकास आयुक्त कार्यालय, , की ओर से पात्र सूक्ष्म और लघु उद्यमों को 'इंडिया ग्लोबल ग्रैंड ट्रेड फेयर' में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। यह मेला 4 से 21 सितंबर तक साइंस सिटी एक्जीबिशन ग्राउंड, कोलकाता में आयोजित किया जाएगा।

हस्तशिल्प और हथकरघा, कपड़ा और परिधान, होम फर्निशिंग, चमड़े के सामान, क्रॉकरी, प्रोसेस्ड फूड, हर्बल, आयुर्वेदिक उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद, लाइफस्टाइल उत्पाद, तथा फर्नीचर और इंटीरियर उत्पादों के निर्माण में लगे पात्र सूक्ष्म और लघु उद्यमों को इस मेले में भाग ले सकते हैं। प्रतिभागी उद्यम 'खरीद और विपणन सहायता' योजना के घटक के तहत निर्मित स्टॉल के किराये पर 80 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, पूर्वोत्तर क्षेत्र, दिव्यांग और आकांक्षी जिला इकाइयों के लिए 100 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। द्वीपसमूह के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को पीएमएस योजना के दिशानिर्देशों के अधीन, प्रति आयोजन प्रति उद्यम अधिकतम 80 हजार रुपये तक की समग्र सहायता प्रदान की जाएगी। इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 25 अगस्त है। ऑनलाइन आवेदन और पीएमएस योजना के दिशानिर्देशों के लिए दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन किया जा सकता है।

<><><><><><><>

समग्र शिक्षा के अंतर्गत समावेशी शिक्षा कार्यक्रम के तहत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए पहचान तथा मूल्यांकन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर आज, कल, 24 और 25 जुलाई को विभिन्न कलस्टरों में आयोजित किया जाएगा। शिविर में चिकित्सा अधिकारियों और अलिम्को की टीम बच्चों की स्वास्थ्य जांच करेगी। विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों और अभिभावकों से इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की है।

<><><><><><><>

राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (दिव्यांगजन), सिकंदराबाद, ने कौशल विकास, पुनर्वास और दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए संयुक्त क्षेत्रीय केंद्र, तथा शिक्षा निदेशालय के सहयोग से हाल ही में टैगोर कॉलेज में 'विशिष्ट शिक्षण दिव्यांगता: मूल्यांकन और निदान' विषय पर दो दिवसीय ऑफलाइन सीआरई कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में द्वीपसमूह के सरकारी और निजी स्कूलों के 50 से अधिक आरसीआई पंजीकृत पेशेवरों, विशेष शिक्षकों और पुनर्वास पेशेवरों ने भाग लिया। इस अवसर पर सीआरसी की निदेशक सुमिथामोल एस. ने समावेशी शिक्षा और पुनर्वास सेवाओं को मजबूत करने के लिए साक्ष्य–आधारित प्रथाओं की आवश्यकता पर बल दिया। शिक्षा निदेशालय के प्रभारी ज्ञानसिल दुबे ने द्वीपों में विशिष्ट शिक्षण दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए सहयोगात्मक प्रयासों के महत्व पर जोर दिया। समापन अवसर पर सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए।

<><><><><><><>

सहायक आयुक्त (सेटलमेंट) कार्यालय, के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय में 'कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला उपायुक्त प्रियंका कुमारी ने एक सुरक्षित, समावेशी और सम्मानजनक कार्यस्थल सुनिश्चित करने में पॉश अधिनियम के महत्व पर प्रकाश डाला। प्रशिक्षण सत्र का संचालन पॉश ट्रेनर रुबीना सिद्दीकी द्वारा किया गया। इस दौरान दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त, सहायक आयुक्त और सहायक आयुक्त (सेटलमेंट) के कार्यालयों के लिए गठित आंतरिक शिकायत समिति के सदस्य भी उपस्थित थे।

<><><><><><><>